

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1982/ आश्विन 28, 1904
No. 304] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1982/ASVINA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 232/82-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1982

सा० का० नि० 618 (अ).--केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962
का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व
विभाग) की अधिसूचना सं० 86-सीमाशुल्क, तारीख 23 अप्रैल, 1980 में उक्त अधिनियम और
संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में "पचपन प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पचहत्तर प्रतिशत" शब्द
रखे जाएंगे।

[फा० सं० 332/15/82-टी०आर०यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 232/82-CUSTOMS

New Delhi, the 20th October, 1982

G.S.R. 616(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 86-Customs, dated the 23rd April, 1980, namely:—

In the said notification, for the words "fifty-five per cent" the words "seventy-five per cent." shall be substituted.

[F.No. 332/15/82-TRU]

R.K. CHAKRABARTI, Deputy Secy.